फॉर्म एल-32-शोधक सीमांत - केटी 3

(विनिमयन ४ देखे) बीमा विनिमयन एवं (बीमांकन रिपोर्ट तथा सार) विनिमयन, 2016.

उपलब्ध शोधक सीमांत तथा शोधक अनुपात

30 जून, 2021

	.,			फॉर्म कोड:	015
बीमाकर्ता का नाम:	भारतीय जीवन बीमा निगम	पंजीयन संख्या:	512	वर्गीकरण कोड:	1
वर्गीकरण:	भारत में व्यवसाय				

मद	विवरण		समायोजित मान [रकम (₹ लाख में)]	
		30.06.2021	30.06.2020	
01	पॉलिसीधारक फ़ंड में उपलब्ध परिसंपत्ति :	353,259,675	321,082,788	
02 03 04	घटाव: गणितीय संचिति अन्य देयतायें पॉालेसीधारक फ़ंड में आधकता	335,152,178 16,390 18,091,108	305,302,205 11,958 15,768,625	
05	शेयरधारक फ़ंड में उपलब्ध परिसंपत्ति : घटाव:	569,392	10,000	
06	शेयरधारक फ़ंड की अन्य देयतायें	0	0	
07	शेयरधारक फ़ंड में अधिकता	569,392	10,000	
08	कुल उ.शो.सी. (04)+(07)	18,660,500	15,778,625	
09	कुल अ.शो.सी.	10,765,411	9,882,277	
10	शोधक अनुपात (उ.शो.सी/अ.शो.सी.)	1.73	1.60	

प्रमाणीकरण:

मैं, ,नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता हूँ की उपरोक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 64Vए के अनुसार तैयार किया गया है, तथा इनमे उल्लेखित रकम, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान:		नियुक्त बीमांकक का नाम तथा हस्ताक्षर
दिनाँक:		

नोट

- 1. मद सं. 01 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओ का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची। के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-एए में उल्लेखित परिसंपत्तियों का समायोजित मान का रकम होगा।
- 2. मद सं. 02 में फॉर्म एच में उल्लेखित गणितीय संचिति की रकम होगी।
- 3. मद सं. 03 तथा 06 में तुलन पत्र में उल्लेखित अन्य देयताएं की रकम होगी।
- 4. मद सं. 05 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (परिसंपत्तियाँ, देयताएं तथा बीमाकर्ताओ का शोधक सीमांत) विनियमन, 2016 के अनुसूची। के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म ईरडा-असेट्स-एए में उल्लेखित कुल परिसंपत्तियों की रकम होगी।